श्वेत पत्र
रांची, 24 जून शुक्रवार 2016

लोक अदालत के माध्यम से विवि की समस्याओं का समाधान संभव-राज्यपाल

रांची। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उनके समक्ष विश्वविद्यालय से संबधित विभिन्न मामले यथा- प्रोन्नति, बकाया राशि, ए.सी.पी., क्षतिपूर्ति आदि आते हैं। लोक आदालत के माध्यम से विश्वविद्यालय के बेहतर प्रयास से इन समस्याओं का समाधान सहजतापूर्वक किया जा सकता है। राज्यपाल आज राज भवन में विश्वविद्यालय से संबंधित विभिन्न मामलों को लोक अदालत के माध्यम से हल करने संबंधी आहुत एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थी। बैठक में झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.एन. पटेल, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डी.के. श्रीवास्तव, राज्यपाल के प्रधान सचिव एस.के. शतपथी, सचिव, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी अजय कुमार सिंह, सचिव, योजना विकास एवं वित्त (व्यय) सत्येन्द्र सिंह, राज्य में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति व प्रतिकुलपति के अतिरिक्त झालसा के अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण उपस्थित थे।

राज्यपाल ने कहा कि लोक अदालत लोगों को तीव्र गति से न्याय दिलाने की दिशा में अच्छी प्रक्रिया है।

इसमें याचिकाकार्ा को न्यायालय की लंबी चक्कर नहीं काटना पड़ता है। अतः विश्वविद्यालय गतिशीलता से कार्य करते हुए लोक अदालत के माध्यम से कार्यरत एवं सेवानिवृत शिक्षक व शिक्षकोर कर्मियों के मामलों का निष्पादन कर सकते हैं, ताकि उन्हें उनका उचित हक मिले। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिवार समर्पित भाव से इस दिशा में कार्य करें जिससे याचिकाकार्ाओं के चेहरे पर मुस्कान आ सकें। उन्होंने इसके लिए आपसी समन्वय पर भी बल दिया।

इस अवसर पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.एन. पटेल ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39। में लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि सभी मामले का निष्पादन न्यायालय में ही किया जा सकता है, ऐसा कतई नहीं है। कुलाधिपति के समक्ष भी सबके सम्मिलित प्रयास से बहुत-से मामले निष्पादित किये जा सकते हैं। उन्होंने लोक अदालत की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसके माध्यम से कम समय में बहुत-से मामले निष्पादित हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोक अदालत के कारण न्यायालय में लंबित वादों में कमी आई है। उन्होंने वादों को निष्पादित किये जानेवाले प्रकारों पर भी चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि सचिका का मूवमेंट में भी तेजी आनी चाहिये। विधवा, बच्चों एवं दिव्यांग के मामलों में संवेदनशीलपूर्वक तीव्र गति से कार्य करने की जरूरत है।

इस अवसर पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव अजय सिंह ने कहा कि अधिकांश मामले अस्वीकृत पद के आते हैं जिनका निष्पादन नहीं हो पाता है। बैठक में अधिवक्ता एवं राज्य के पूर्व मुख्य सचिव ए.के. सिंह ने कहा कि न्यायालय में विश्वविद्यालय से संबंधित मामलों को यदि वर्गीकरण किया जाय तो लगभग 80 प्रतिशत मामले सेवानिवृत शिक्षक एवं शिक्षकोर कर्मियों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि बहुत-से लोगों को पाँचवीं और छठी वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल रहा है। इसका मुख्य कारण इनके पद का स्वीकृत नहीं होना बताया गया है, लेकिन अब इन्हें लाभ दिया जा सकता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने द्वारा इससे संबंधित वादों में आदेश भी पारित किया गया है कि इतने लंबे वर्षों यथा- 35 वर्षा के बाद पद का अस्वीकृत होना विषय नहीं रखता है, उन्हें लाभ दिया जाय। बैठक में सभी विश्वविद्यालयों द्वारा उनके समक्ष लंबित मामलों के बारे में अवगत कराया गया।

the pioneer
RANCHI | FRIDAY | JUNE 24, 2016

Lok Adalat best way to solve issues in varsities: Guv

PNS ■ RANCHI

Governor Droupadi Murmu on Thursday said that disputes related to promotion, dues, ACP and compensation in Universities could be solved easily through Lok Adalat and positive efforts made by them. The Governor was holding a high level meeting at Raj Bhawan in Ranchi on Thursday on solving problems in Universities through Lok Adalats.

The Governor further added that Lok Adalat has proved to be a better process in the direction of providing justice to the people where petitioners do not have to run around courts for long. Hence, the Universities acting swiftly could solve the mattes related to retired teaching and non-teaching staff through Lok Adalats so that they can get justice.

"Universities should positively act in this direction with full dedication so that smiles could be brought on the faces of petitioners," the Governor said.

Speaking at the occasion, Justice DN Patel of Jharkhand High Court said that there was a provision of providing free of cost legal support to a citizen in the Constitution of India.

"It's not so that all matters could be disposed of in courts only.....some of the matters could also be solved before the Vice Chancellor," said Justice Patel.

Putting light on the importance of Lok Adalat, he said that several matters could be disposed of in the minimum possible time though it. Due to Lok Adalats, there has been a decrease in the number of pending cases in courts, added Patel.

Justice Patel also talked about the kinds of matters which could be disposed of in Lok Adalats.

"Movement of files must also be expedited. There is a need to work sensitively in the matters related to widows, children and physically challenged persons," said Justice Patel.

The meeting was attended by Senior Judge of Jharkhand High Court Justice DN Patel, JPSC Chairperson DK Srivastava, Principal Secretary to the Governor SK Satpathy, Secretary Higher Education Ajay Kumar Singh, Secretary Planning, Development and Finance Satyendra Singh, VCs and Pro-VCs of five Universities, officials of JHALSA and several advocates.

Governor Droupadi Murmu holding a high level meeting with Justice DN patel and senior Government offcials at Raj Bhawan on Thursday

Pioneer photo

आज
रांची, २४ जून, २०१६

लोक अदालत के माध्यम से विवि की समस्याओं का समाधान संभव : राज्यपाल

रांची। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उनके समक्ष विश्वविद्यालय से संबधित विभिन्न मामले यथा– प्रोन्नति, बकाया राशि, ए.सी.पी., क्षतिपूर्ति आदि आते हैं। लोक आदालत के माध्यम से विश्वविद्यालय के बेहतर प्रयास से इन समस्याओं का समाधान सहजतापूर्वक किया जा सकता है। राज्यपाल आज राज भवन में विश्वविद्यालय से संबंधित विभिन्न मामलों को लोक अदालत के माध्यम से हल करने संबंधी आहुत एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थी। बैठक में झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.एन. पटेल, झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डी.के. श्रीवास्तव, राज्यपाल के प्रधान सचिव एस.के. शतपथी, सचिव, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी अजय कुमार सिंह, सचिव, योजना विकास एवं वित्त (व्यय) श्री सत्येन्द्र सिंह, राज्य में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति व प्रतिकुलपति के अतिरिक्त झालसा के अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण उपस्थित थे। राज्यपाल ने कहा कि लोक अदालत लोगों को तीव्र गति से न्याय दिलाने की दिशा में अच्छी प्रक्रिया है। इसमें याचिकाकर्त्ता को न्यायालय की लंबी चक्कर नहीं काटना पड़ता है। अतः विश्वविद्यालय गतिशीलता से कार्य करते हुए लोक अदालत के माध्यम से कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मियों के मामलों का निष्पादन कर सकते हैं, ताकि उन्हें उनका उचित हक मिले। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिवार समर्पित भाव से इस दिशा में कार्य करें जिससे याचिकाकर्त्ताओं के चेहरे पर मुस्कान आ सकें। उन्होंने इसके लिए आपसी समन्वय पर भी बल दिया।

इस अवसर पर झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.एन. पटेल ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39। में लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान' करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि सभी मामले का निष्पादन न्यायालय में ही किया जा सकता है, ऐसा कतई नहीं है। कुलाधिपति के समक्ष भी सबके सम्मिलित प्रयास से बहुत–से मामले निष्पादित किये जा सकते हैं। उन्होंने लोक अदालत की अहमियत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसके माध्यम से कम समय में बहुत–से मामले निष्पादित हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोक अदालत के कारण न्यायालय में लंबित वादों में कमी आई है। उन्होंने वादों को निष्पादित किये जानेवाले प्रकारों पर भी चर्चा की। उन्होंने यह भी कहा कि संचिका का मूवमेंट में भी तेजी आनी चाहिये। विधवा, बच्चों एवं दिव्यांग के मामलों में संवेदनशीलपूर्वक तीव्र गति से कार्य करने की जरूरत है।

इस अवसर पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव अजय सिंह ने कहा कि अधिकांश मामले अस्वीकृत पद के आते हैं जिनका निष्पादन नहीं हो पाता है। बैठक में अधिवक्ता एवं राज्य के पूर्व मुख्य सचिव श्री ए.के. सिंह ने कहा कि न्यायालय में विश्वविद्यालय से संबंधित मामलों को यदि वर्गीकरण किया जाय तो लगभग 80 प्रतिशत मामले सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों से संबंधित है। उन्होंने कहा कि बहुत–से लोगों को पाँचवीं और छठी वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल रहा है। इसका मुख्य कारण इनके पद का स्वीकृत नहीं होना बताया गया है, लेकिन अब इन्हें लाभ दिया जा सकता है। झारखंड उच्च न्यायालय ने द्वारा इससे संबंधित वादों में आदेश भी पारित किया गया है कि इतने लंबे वर्षों यथा– 35 वर्षों के बाद पद का अस्वीकृत होना विषय नहीं रखता है, उन्हें लाभ दिया जाय। बैठक में सभी विश्वविद्यालयों द्वारा उनके समक्ष लंबित मामलों के बारे में अवगत कराया गया।

MORNING INDIA
www:pmedia.in
03 Ranchi, Friday
24 June 2016

Guv holds high-level meeting

Rishi Mukherjee

RANCHI: Jharkhand governor Draupadi Murmu addressed a high-level meeting to solve problems of Ranchi University through the platform of public court (lok adalat) on Thursday at Rajbhavan here.

During the meeting she said "we have come across problems faced by the university on the issues of promotions, arrears, A.C.P and compensation and these problems can be sorted out through by the university through lok adalat". While praising the works of public court she said it has come out to be helpful in enhancing the rate of justice and prevent petitioners from undergoing the long processes of judicial system.

On this occasion Senior Justice, Jharkhand High Court, D N Patel said it is not that all issues must be brought to the court. He said the VC with cooperation from may solve many issues fast. He also said "because of public court there is a reduction in the pending cases" and suggested to give preference to the cases pertaining to widows, children and handicapped people.

JPSC chairman D K Shrivastav, Principal Secretary to Governor S K Sathpathy, Secretary Higherand Technical Education Ajay Kumar Singh, Secretary Planning, Finance (expenditure) Satyendra Singh, VCs and Pro-VCs of different universities were present during the meeting.

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राजभवन में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कहा

लोकअदालत से मामले निपटायें विश्वविद्यालय

संवाददाता

रांची : राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राजभवन में विश्वविद्यालय से संबंधित प्रोन्नति, बकाया राशि, एसीपी, क्षतिपूर्ति आते हैं। लोक अदालत के माध्यम से विश्वविद्यालय के मामले सहजतापूर्वक निपटाये जा सकते हैं। यह तीव्र न्याय दिलाने की सबसे अच्छी प्रक्रिया है। इसमें याचिकाकर्ता को न्यायालय का लंबा चक्कर नहीं काटना पड़ता है। अतः विश्वविद्यालय गतिशीलता कार्य करते हुए लोक अदालत के माध्यम से कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शिक्षकेतरकर्मियों के मामलों का निष्पादन कर सकते हैं। राज्यपाल गुरुवार को राजभवन में विश्वविद्यालय से संबंधित विभिन्न मामलों को लोक अदालत के माध्यम से हल करने संबंधी एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थी। बैठक में झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायपूर्ति डीएन पटेल, जेपीएससी के अध्यक्ष डी के श्रीवास्तव, राज्यपाल के प्रधान सचिव एस के शतपथी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, योजना विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह, राज्य के पांचों विश्वविद्यालय के कुलपति-प्रतिकुलपति, झालसा के अधिकारीगण एवं अधिकवक्तागण मौजूद थे। बैठक में विश्वविद्यालयों के द्वारा अपने यहां लंबित मामलों से अवगत कराया।

लोकअदालत से लंबित वादों में आयी कमी : पटेल

बैठक में अपने विचार रखते हुए झारखंड उच्च न्यायाल के वरिष्ठ न्यायाधीष न्यायमूर्ति डी एन पटेल ने कहा कि भारतीय संविधान में निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। लोकअदालत की वजह से न्यायालयों में लंबित वादों में कमी आयी है। न्यायमूर्ति ने कहा कि मामले सिर्फ न्यायालयों में ही निपटायें यह जरुरी नहीं, कुलाधिपति के समक्ष भी कई मामलों का निपटारा किया जा सकता है। संचिका के मूवमेंट में भी तेजी आनी चाहिए। विधवा, बच्चों एवं दिव्यांग के मामले में संवेदनशील होकर तीव्र गति से कार्य करने की जरूरत है।

पद अस्वीकृत होने के बाद भी मिले लाभ : ए के सिंह

बैठक में अधिवक्ता एवं राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एके सिंह ने कहा कि न्यायालय में विश्वविद्यालयों से संबंधित मामलों में 80 प्रतिशत मामले सेवानिवृत्त शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मियों के आते हैं। बहुत से लोगों को 5वें व 6वें वेतन आयोग लाभ नहीं मिल पाता है। इसके पीछे तर्क पद का अस्वीकृत होना बताया जाता है। लेकिन झारखंड उच्च न्यायालय ने इस संबंत में आदेश पारित किया है कि इतने लंबे वर्षों जैसे 35 वर्ष के बाद पद का अस्वीकृत होना मायने नहीं रखता। इस संबंध में याचिकाकर्ता को लाभ दिया जा सकता है।

Printed from
THE TIMES OF INDIA

Use lok adalats to resolve varsity issues, says guv

TNN | Jun 24, 2016, 01.53 PM IST

RANCHI: Chancellor of universities, governor Droupadi Murmu and executive chairman, Jharkhand state legal services authority (Jhalsa), judge Jharkhand high court, justice DN Patel on Thursday convened a meeting at the Raj Bhavan with the vice-chancellor of universities for convening a third special lok adalat to deal with varsity cases.

Chairman Jharkhand public service commission (JPSC) DK Srivastava, principal secretary to governor SK Sathpathy, secretary higher and technical education, Ajay Kumar and secretary planning and finance Satyendra Kumar were also present along with JHALSA officials to discuss the nature of cases and mutual coordination to reduce the stock pile of pending cases.

The governor expressed her desire to solve pending cases at the earliest so that the university teachers, staff and their family members don't have to suffer because of delay in disposal. "I have been getting complaints related to salary, promotion and delayed payment of retirement benefits from various universities," she said calling upon the universities to sort out the matters through easy channel.

Briefing about the success and efficacy of lok adalat, Justice Patel said that it not only reduces the pressure of pending cases over the judiciary but also helps either party to settle the issues mutually within no time. "Lok adalat has been successful across the country and the litigants have to remain engaged in court procedures," he said adding that the lawyers are available free of cost and even the stamp fee is not needed.

"We have weekly lok adalat and continuous lok adalat as well and the entire preparation is done for the disposal of the cases ahead of the special lok adalat to focus on settlement of maximum possible cases.

Vice-chancellors came up with the number of cases in pre and post-litigation stage and rough amount of money involved in them. Ranchi university VC Ramesh Kumar Pandey said pre-litigation cases involving payment of Rs11 Cr and post litigation cases involving payment of Rs23 Cr are pending with the university which relates to appointment, service, examination and contempt, while Birsa Agriculture University VC Dr George John said that 65 cases, mostly related to service matter and benefits related to ACP and MACP are pending.

Higher and technical education secretary Ajay Kumar pointed that pending payment or pending arrear of salary and retirement benefits are mostly related to people working against unsanctioned posts. "We have clarified our position that no payment could be made against unsanctioned posts and certain number of positions are not sanctioned by government who are working in Ranchi University," he said.